ज़कात –
वर्तमान काल के दृष्टिकोण में

अल्लाह तआला ने मनुष्य व जिन्नात को अपनी इबादत व बन्दगी के लिए पैदा किया है। इस लिए इसलाम धर्म में इबादतों की असाधारण महत्व है। अर्थात अल्लाह तआला का आदेश हैः-

भाषांतरः और मैं ने मनुष्य व जिन्नात को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया।

(सुरह ज़ारियातः 56)

इसलाम की व्यवस्था व सिद्धान्त मेहराम तक सीमित नहीं, इस में रीति-रिवाज की अवश्यकता के संपादन नहीं, ये कुछ रिवाजी कामों के परिणाम देने का नाम नहीं, बल्कि इसलामी सिद्धान्त व व्यवस्था इबादत के सिद्धान्त बन्दों के लिए अल्लाह से नज़दीकी का माध्यम तथा निर्माण से संबंध इस्तेवार करने का माध्यम है।

वे अपने भीतर व्यापकता तथा गेहरा प्रभाव रखता है. समाज व संसार एवं सोसाईटी की सुधराव में इसलाम के इबादत के सिद्धान्त जो कर्तव्य व रोल संपादन करता है इस का इन्कार नहीं किया जा सकता।

नमाज़ व रोज़ा हो या ज़कात व हज्ज, एतेकाफ व क़ुर्बानी हो या सदखा व खैरात (दान) या सम्पूर्ण इबादतें वास्ते या बिना वास्ते खुद इबादत करने वाले के लिए लाभदायक व फायदेमंद हैं तथा समाज व संसार के लिए भी लाभदायक हैं।

विशेष रूप से इसलाम की ज़कात की व्यवस्था समाज में अत्यन्थ कुशलता एवं गुणकारक व हितकारी का केन्द्र है। अधिक आपसी सहायता व मदद तथा समाज न्याय व इन्साफ का आईनेदार है।

ज़कात के व्यवस्था पर सम्पूर्ण रूप से स्थापना से संसार आर्थिक भेद-भाव से मुक्ती पा सकती है। मानवता – कठिनाईयों से राहत प्राप्त कर सकती है तथा एक पवित्र व प्रसन्न समाज व कुशल सोसाइटी स्थापित हो सकती है। जिस के परिणाम में समाज के प्रत्येक क्षेत्र के सम्पूर्ण सदस्य अपनी-अपनी हैसियत से कुशल जीवन बिताने वाले दिखाई देंगे।

समाज के अरकान व सदस्य लालच व कामना, द्वेष से दूर होंगे तथा खुदगर्ज़ी से आदी तथा शिष्टाचार के चरित्र वाले होंगे।

ज़कात के द्वारा धन की उचित तक़सीम होगी, सम्पत्ति सीमित ना होगी, इस में बहार आएगा, दरिद्र व निर्धन लोगों को इन के धन के अधिकार प्राप्त होंगे, जिस प्रकार व्यापार पेशे के लोग, धनी लोग खुशहाल व आनन्दित जीवन बिता रहे हैं इसी प्रकार गरीब व अवश्यकता वाले लोगों की अवश्यकता संपादन होती नज़र आएगी। धनवान तथा दौलतमंदों के और गरीब व निर्धन के बीच रंजिशें ना होंगी।

इसलामी इबादतों में नमाज़ के बाद सब से अधिक महत्व रखने वाली इबादत ज़कात है जो इसलाम का एक मज़बूत स्तम्भ तथा प्रावधान है, जिस की फरज़ियत क़ुरान करीम से साबित है तथा हदीस, संप्रदाय के बहुमत तथा खियास इस की फरज़ियत की ओर अनुदेश करते हैं।

ज़कात का शाब्दिक अर्थ

ज़कात का शाब्दिक व आक्षारिक अर्थ पवित्रता व तहारत, समावेश व बढ़ोतरी है तथा जिस धन की ज़कात निकाली जाती है इस में ये तात्पर्य

पूर्ण रूप से पाया जाता है, ज़कात देने से धन पवित्र होता है, और इस में उन्नति व बरकत होती है।

जैसा के अल बहर उर राईख शरह कंज़ुल दखाईख, जिल्द 02, पः 352 पर उल्लेख है।

शरीअत में ज़कात का अर्थ

शरीअत के शब्दावली में ज़कात का अर्थ ये है के निसाब के मालिक की ओर से केवल अल्लाह तआला की संतुष्टि के लिए किसी ऐसे अवश्यकता व निर्धन मुसलमान को जो ना तो सैय्यद हो तथा ना सैय्यद का आज़ाद किया हुआ गुलाम हो, अपने धन के एक नियुक्त भाग का पूर्ण रूप से मालिक घोषित कर दिया जाए।

फिक़्ह हनफी की नामवर पुस्तक कंज़ुल दखाईख, किताब उज़ ज़कात, पः 55 पर उल्लेख है।

ज़कात का आदेश

ज़कात के फर्ज़े इसलाम में एक महत्व फरीज़ा व कर्तव्य है। ये नमाज़ के बाद तीसरा प्रावधान है। जिस किसी निसाब वाले मुसलमान व्यक्ति, सन्तुलित, बालिग, आज़ाद पुरुष व महिला के पास निसाब के प्रकार व संख्या में धन हो इस पर वर्ष बीतते ही ज़कात फर्ज़ है।

ज़कात की फरज़ियत का इन्कार करने वाला इसलाम की सीमा से बाहर है। ज़कात का आदेश पूर्व उम्मतों के लिए भी था तथा उम्मते-मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ज़कात की फरज़ियत का आदेश 2 हिज्री रमज़ान के महीने के रोज़ों की फरज़ियत से पूर्व प्रकट हुआ।

जबके मुसलमानों के हालात व स्थिति ऐसे थे के उन्हें आपसी मदद व सहायता एवं योगदान की अत्यन्त अवश्यकता थी।

जैसा के दुर्रे मुक़तार, किताब उज़ ज़कात में उल्लेख है।

पैग़म्बरों पर ज़कात वाजिब व अनिवार्य नहीं

अंबिया किराम अलैहिस सलातु सलाम के लिए ज़कात का आदेश नहीं। इस बात पर इजमाअ व निश्चय है। इस लिए के ज़कात इस व्यक्ति के लिए पवित्रता का माध्यम है जो अपवित्रता व अशुद्धता से प्रभावित व व्यस्त हो सकता था।

जबके पैगम्बर लोग वह पावन व धन्य हसतियाँ हैं जो प्रत्येक प्रकार की अपवित्रता व गंदगी से शुद्ध व पवित्र ही होती हैं।

जैसा के दुर्रे मुक़तार, किताब उज़ ज़कात में है।

एवं अधिक रद्दुल मुहतार, किताब उज़ ज़कात में भी उल्लेख है।

ज़कात का महत्व

ज़कात का आदेश इस प्रकार महत्वपूर्ण वाला है के इस के अनुदेश में कई एक क़ुरान की आयतें प्रकट हुईं। अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में 32 स्थान पर नमाज़ तथा ज़कात को एक साथ वर्णन किया तथा अनेक रूप व अंदाज़ में ज़कात का आदेश दिया। कहीं आदेश के रूप में फरमाया-

भाषांतरः और ज़कात अदा करो।

(सुरह अल बक़रहः 02:43)

कहीं ज़कात को नेकी के कामों में वर्णन कर दिया।

(सुरह अल बक़रहः 02:177)

और कई एक आयतों में ज़कात का संपादन करना ईमान वाने बन्दों के गुण व लक्षण घोषित किया।

इमाम तबरानी की मुअजम कबीर में हदीस पाक है सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः-

भाषांतरः और तुम अपने धन की (चाहे वह सोना चाँदी हो या गहने) खुशी-खुशी प्रसन्नता से ज़कात संपादन करो।

(अल मुअजम अल कबीर लित तबरानी, हदीस संख्याः 7413)

अधिक अनेक स्थान पर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़कात की महत्व वर्णन की तथा इसे संपादन करने का आदेश दिया।

ज़कात संपादन करने वालों के लिए शुभ-सूचना

ज़कात संपादन करने वालों के लिए बड़ी गवाही व शुभ-सूचनाएं, विशाल सवाब व पुण्य के वादे किए गए तथा लोक-परलोक की सफलता के केन्द्र प्रदान किए गए हैं। अर्थात क़ुरान पाक में अल्लाह तआला का आदेश हैः-

भाषांतरः और क्या ही श्रेष्टतर हैं वह लोग जो नमाज़ पढ़ने वाले तथा ज़कात देने वाले तथा अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, यही वह लोग हैं जिन्हें हम बड़ा अज्र प्रदान करेंगे।

(सुरह अन निसाः 04:162)

और सुरह आराफ में अल्लाह तआला का आदेश हैः-

भाषांतरः और मेरी रहमत प्रत्येक चीज़ व तत्व को घेरी हुई है तो मैं अवश्य इसे इन लोगों के लिए निर्धारित कर दूँगा जो तक़वा अपनाते हैं तथा ज़कात संपादन करते हैं और वे लोग जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं।

(सुरह अल आराफः 07:156)

ज़कात संपादन करने वाले सफल

अल्लाह तआला ने अपने पावन कलाम में सफलता व संबोधित बन्दों के जो गुण व लक्षण वर्णन किया है उन में एक महत्व गुण ज़कात के संपादन करने का है। जैसा के अल्लाह तआला का क़ुरान पाक में आदेश हैः-

भाषांतरः निश्चय इमान वाले सफल पा चुके जो अपनी नमाज़ों में खुशूअ करते हैं तथा जो बेहूदा बातों से अलग रहते हैं एवं जो ज़कात संपादन करते हैं।

(सुरह अल मोमिनूनः 23:1-4)

ज़कात संपादन करने वालों के लिए विशेष अनुमोदन

ज़कात संपादन करने वालों पर अल्लाह तआला का संबोधन किस प्रकार होता है तथा वह अपने नेक बन्दों पर कैसा आभूषण करता है इस से संबंधित सहीह मुसलिम में रिवायत हैः-

भाषांतरः हज़रत अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत रसूलउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमें वर्णन किया तथा कुछ हदीसों वर्णन कीं, उन में ये भी फरमायाः हज़रत रसूलउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह तआला ने मुझ से फरमायाः अए हबीब आप खर्च करते जाइए मैं आप को प्रदान करुँगा, तथा हज़रत रसूलउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह तआला का पावन हाथ भरा हुआ है, रात दिन के खर्च से इस में कोई कमी नहीं होती, भला बतलाओ तो सही जब से इस ने आसमानों तथा ज़मीनों को पैदा किया है किस प्रकार खर्च कर चुका है। इस के हाथ में कोई कमी नहीं हुई। इस का अर्श पानी पर है तथा इस के दुसरे हाथ में खब्ज़ (संकीर्णन) है, वह जिसे चाहता है बुलंद करता है और जिसे चाहता है निम्न व दबाता है।

(सहीह मुसलिम, किताब उज़ ज़कात, हदीस संख्याः 2356)

www.Ziaislamic.com